प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 01.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 01.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरुक-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान ''मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान'' चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 01.12.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कालेज/बीट/गांव आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरुकता कार्यशाला एवं चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओ के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने
01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक- 30.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक, श्री शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 संदीप, उ0नि0 अभिनव सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (विशेष एससी /एसटी न्यायालय) से सम्बन्धित मु0अ0स0 423/23 धारा 406/504/506 व 3(1) द,ध, 3(2)5 क एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित एक नफर वारण्टी अभियुक्त अतुल पटेल पुत्र शत्रुघ्न पटेल उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को पेश दरवाजा वारण्टी अभि0 वहद ग्राम ननौरा से नियमानुसार गिरफ्तार कर बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0यूटी0 संदीप
2. उ0नि0 अभिनव सिंह

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त -

अतुल पटेल पुत्र शत्रुघ्न पटेल उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 01.12.2024

मीडिया सेल, महोबा

जनपदीय एसओजी व थाना खरेला की पुलिस टीम द्वारा टेन्ट सामग्री लेकर धोखाधडी/हेराफेरी करने वाले गैंग के 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से टेन्ट का सामान व घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन की बरामदगी की गई है।

थाना खरेला क्षेत्र से दिनांक 17.11.2024 को टेन्ट सामग्री की हुई धोखाधड़ी के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर पर थाना खरेला में मु0अ0सं0 145/2024 धारा 319(2)/318(4) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में जनपद महोबा में चोरी/टप्पेबाजी/धोखाधड़ी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने व ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में जनपद स्तर पर जनपदीय एसओजी व थाना खरेला की संयुक्त पुलिस टीमों को इस घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

जनपद स्तर पर गठित संयुक्त पुलिस टीमों ने घटना से सम्बन्धित धोखाधड़ी में गये सामान व इसमें सम्मिलित अभियुक्तों की लगातार पतारसी सुरागरसी के उपरान्त आज दिनांक 01.12.2024 को थानाक्षेत्र से परथनिया पुल के पास गुन्देला रोड बहद ग्राम परथनिया से घटना कारित करने वाले 03 नफर अभियुक्त गण क्रमशः 1.फिरोज पुत्र शकूर अहमद उम्र 28 वर्ष 2.अखिलेश साहू पुत्र सन्तराम उम्र 25 वर्ष 3.परमलाल पुत्र कत्थू उम्र 38 वर्ष निवासी गण ग्राम पवई थाना जरिया जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मु0अ0सं0 145/2024 धारा 319(2)/318(4) BNS से सम्बन्धित माल तथा बेलाताल थाना कुलपहाड़ महोबा से की गयी धोखाधडी से सम्बन्धित बरामद टेन्ट सामग्री के अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त एक वाहन बोलेरो न0 UP92Q2160 रंग सफेद को बरामद कर कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व उनके कब्जे से हुए बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में लाते हुए धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

बरामदगी का विवरण-

- 16 अदद छोटा-बडा भगौना सिल्वर
- 11 अदद छोटी बडी परात सिल्वर
- 15 अदद छोटे बडे ढक्कन सिल्वर व
- 02 अदद मोबाइल एन्ड्राइड
- घटना में प्रयुक्त एक वाहन बोलेरो न0 UP92Q2160 रंग सफेद

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण:-

जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ०नि० शिव प्रताप सिंह एसओजी प्रभारी 2. उ०नि० रवि कुमार सिंह सर्विलांस प्रभारी 3. हे ० का ० भूपेंद्र सिंह सर्विलांस सेल 4. कां० आशीष बघेल स्वाट टीम 5. कां० दीपक वर्मा सर्विलांस सेल 6. कां० अभिषेक दुबे सर्विलांस सेल

थाना खरेला पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष खरेला, उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया 2.व0उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय 3.उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा 4.कां0 प्रवीण कुमार यादव 5.का0 धर्मेन्द्र चाहर

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1. फिरोज पुत्र शकूर अहमद उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम पवई थाना जरिया जनपद हमीरपुर
2. अखिलेश साहू पुत्र सन्तराम उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पवई थाना जरिया जनपद हमीरपुर
3. परमलाल पुत्र कत्थू उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम पवई थाना जरिया जनपद हमीरपुर